श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा / 2022–23 / 574 दिनांक 29 / 08 / 2022

27 SEP 2022

परिपत्र

विषय :– अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ओवदन करने / दस्तावेजो के ऑन–लाईन आवेदनो करने हार्ड कापी में जमा करने बाबद।

प्रायः यह देखने मे आया है कि संस्थान के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के अनेंक विद्यार्थियो, द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास यहायता योजना हेतु, ऑन–लाईन आवेदन करते है, परंतु उसकी हार्ड कापी समय सीमा में संस्थान में जमा नही करते है।

2) यह भी देखने मे आया है विद्यार्थियो द्वारा शासन द्वारा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित दस्तावेज / पूर्ण दस्तावेज नही होने पर भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर देते है। इस कारण अधूरे आवेदनो को शासन को स्वीकृति हेतु अग्रेषित नही किया जा सकता है। छात्रवृत्ति से वंचित होने के कारण सी.एम. हेल्प लाईन, आदिम जाति कल्याण विभाग, इन्दौर, कलेक्टर में जन–सुनवाई में शिकायते करते है। चूंकी आधे–अधुरे आवेदनो का निदान संभव नही है।

3) विद्यार्थियो को सूचित किया जाता है कि वह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास यहायता योजना का ऑन–लाईन आवेदन करने समय अपने संस्थान के परिपत्र कमांक पोमेछा / 2021–22 / 99 दिनांक 04 / 05 / 22 एवं पोमेछा / 2021–22 / 845 दिनांक 25 / 03 / 22 अनुसार दस्तावेज का परीक्षण कर ले।

4) यदि विद्यार्थी को ऑन–लाईन आवेदनो में संलग्न दस्तावेजो में कोई परेशानी आ रही है तो वह संस्थान के नोडल अधिकारी, वित्त अधिकारी, डीन–प्रशासन डीन छात्र–कल्याण अथवा संस्थान निदेशक के माध्यम से संपर्क करें एवं इस हेतु एक लिखित में आवेदन प्रस्तुत करे।

5) संबंधित विद्यार्थियो को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सीधे शासन के विभागो से संपर्क न करे, सर्वप्रथम संस्थान स्तर पर ही निदान करने का प्रयास किया जावेगा, सावधानी पूर्वक नोट करे।

निदेशक

Director
Shri G. S. Institute of
Technology & Science, Indore

प्रतिलिपि.–

1) सहायक आयुक्त, कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण), इन्दौर
2) डीन. प्रशासन 3) डीन, छात्र कल्याण 4) नोडल अधिकारी, वित्त अधिकारी
5) समस्त नोटिस बोर्ड / होस्टल 6) संस्थान की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।